

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निशःकृत जन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 3-39/2017/26-2

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी, 2019

प्रति,

संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निशःकृत जन कल्याण,
मध्य प्रदेश
भोपाल

विषय: मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।
संदर्भ: इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3-39/2017/26-2, दिनांक 18 दिसंबर, 2018।

उपरोक्त संबंध में कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री कन्या निकाह योजना के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा जो आदेश जारी किये गये हैं उसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

- 1- संदर्भित आदेश की कंडिका 1 में वर्णित सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के आयोजन हेतु यथास्थिति अधिकृत नगरीय/ग्रामीण निकाय को रुपये 3000/-प्रति कन्या के मान से तथा शेष राशि रुपये 48000/- संबंधित कन्या के बैंक बचत खाते में जमा करायी जाये ।
- 2- संदर्भित आदेश की कंडिका 2 में वर्णित आदिवासी अंचलों में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा के अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाहों में कन्या विवाह सहायता राशि दी जाये ।
- 3- संदर्भित आदेश दिनांक 18 दिसंबर, 2018 की कंडिका 3 एवं 4 यथावत रहेंगी ।

उपरोक्त आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा तथा योजना संशोधन आदेश की वेबसाईट पर भी दर्शाई जावे ।



(अशोक शाह)

प्रमुख सचिव

म.प्र. शासन

सामाजिक न्याय एवं निशःकृत जनकल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3-39/2017/26-2

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी, 2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन ।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निशःकृतजन कल्याण, म.प्र.शासन ।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश ।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त मुख्य नगरपालिका/नगर परिषद् अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश ।



(अशोक शाह)

प्रमुख सचिव

म.प्र. शासन

सामाजिक न्याय एवं निशःकृत जनकल्याण विभाग